



ISO9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65

वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda_1@rediffmail.com

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं०: 04/19-20/एल./पी.के.डब्लू.
सेवा में,

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र

मै० यूरेका बिल्डर्स (लीड मैम्बर कन्सोर्सियम)

द्वारा-डायरेक्टर श्री निशान्त गर्ग

पुत्र स्व० श्री पीयूष कुमार गर्ग

निवासी-119, बाग भटियारी निकट पालिका बाजार जी.टी. रोड

गाजियाबाद।

पत्रांक 1552 / मानचित्र/एच.पी.डी.ए./2021-22

दिनांक 04.01.2022

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति राजस्व ग्राम खेडा, तहसील-धौलाना, जिला-हापुड़ के खसरा सं० 630, 632 एवं 1000, 1004 कुल क्षेत्रफल 63697.00 वर्ग मी० पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल पाँच वर्षों तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, एच.पी.डी.ए.) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जाता है, तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सार्वजनिक या सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न हो।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक मूल सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों एवं स्पेशिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
10. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य रहेगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी भूमि पर करें।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर लगाने अनिवार्य है।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा। बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
14. सुपरवीजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
15. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों दिनांक 27.12.2021(2), 15.12.2021(3), 26.04.2019(1), इन्डेमनिटी बोनड दिनांक 26.04.19 (2) व अन्य शपथ पत्र में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. 300 वर्ग मी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

17. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बंधित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अशक्त व्यक्तियों की सुविधाओं हेतु प्राविधान करना होगा।
19. भू-स्वामित्व वाद-विवाद होने पर अथवा तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत कराये जाने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
20. औद्योगिक बिल्डिंग में प्रकाश व्यवस्था, एअर कन्डीशनिंग, हीटिंग मैकेनिकल वैंटीलेशन रसोईघर एवं अन्य विद्युत उपकरणों में प्रयोग होने वाले विद्युतभार का ऑकलन विद्युत विभाग से कराये जाने के उपरान्त ही निर्धारित क्षमता का लोड लेना होगा।
21. जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन निर्माण मानकों के अनुसार किया जायेगा। रसोईगैस, हाउस स्टाफ, विजिटर इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक रखना होगा।
22. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अथितिग्रह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंकटहॉल, बारात घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य है।
23. छविगृह भवन की प्लानिंग डिजाइनिंग एवं अग्निशमन व्यवस्था उ.प्र. सिनेमेटोग्राफ रूल्स-1951 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड के संगत प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी।
24. औद्योगिक बिल्डिंग में आवश्यक सेवाओं यथा पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन, कैन्टीन आदि का निर्धारण मानको के अनुसार करना होगा।
25. सीटिंग व्यवस्था के सम्बंध में ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स की उपविधियों के प्रस्तर-10.12 का अनुपालन करना होगा।
26. भवन एवं सन्निर्माण(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बंधी उ०प्र० नियमावली 2009 के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन का श्रम विभाग, हापुड़ में पंजीयन कराना कराना होगा। यदि पंजीयन न किये जाने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है, तो वह विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
27. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

अतिरिक्त शर्त :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
2. समस्त विभागों द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
3. विकासकर्ता विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक/गिरवी रखी गयी भूमि पर विकास एवं निर्माण कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक ई.डब्लू.एस. आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया जाता है एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण नहीं किये जाते हैं तथा अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है।
4. ई.डब्लू.एस. भवन का निर्माण न किये जाने की दशा में बंधक रखी गयी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर लिया जायेगा।
5. विकासकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत योजना के अन्तर्गत निर्मित ई.डब्लू.एस भवनों का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही टी.डी.आर. के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण अनुमन्य होगा।
6. योजना का विकास एवं निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक करने हेतु विकासकर्ता द्वारा किये गये डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण हो जाने पर स्थल का जी.पी.एस. कोआर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे, जिसके साथ निर्धारित प्रारूप पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार निर्माण किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें सैटबैक परिवर्तित हुये हैं, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये वह किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेंगे।
8. योजना के समस्त आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जायेंगे।

9. 24 माह में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में ई.डब्लू.एस. योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनल्टी देय होगी। 60 दिन की अवधि के पश्चात बैंक गारन्टी तथा बंधक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
10. ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण शासनादेश सं० 1132/आठ-1-18-106 विविध/18 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 12.07.2018 के माध्यम से निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास योजना (वर्ष 2018-21) के संलग्न-4 पर ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण के सम्बंध में दिये गये स्पेसिफिकेशन्स अथवा शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार के F.NO.BMT/CBM/ET/2014/176/14 में वर्णित उभरती किफायती आवास प्रौद्योगिकियों जो निम्नानुसार उल्लिखित हैं, के अनुसार करना होगा।
- 1- Monolithic Concrete Construction System Using Plastic/Aluminium Formwork.
 - 2- Monolithic Concrete Construction System Using Aluminium Formwork.
 - 3- Expanded polystyrene core panel system.
 - 4- Industrialized 3-ssystem using cellular light weight concrete slabs & precast columns.
 - 5- Factory Made fast track modular building system INSTACON.
 - 6- Glass fibre Reinforced gypsum panel system.
 - 7- Advanced building system EMMEDUE.
11. योजना के सम्बंध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति आदि विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किये जायेंगे।
12. नियमानुसार रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट) 2016 तथा तदधीन बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।
13. योजना का क्रियान्वयन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ कराना अनिवार्य होगा तथा ई.डब्लू.एस. श्रेणी के भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह में पूर्ण करना होगा।
14. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायेंगे।
15. कार्य योजना के अनुसार कलेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन व एमएस.डब्लू. के डिस्पोजल हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. विकासकर्ता को निर्धारित मानकों के अनुसार एस.टी.पी. को निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
17. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेन्ट सिस्टम का प्राविधान बी.आई.एस. कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
18. राजस्व अभिलेखों में दर्ज एवं स्थल के मध्य स्थित चकरोड/नाली/सरकारी भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य एकजाई की हुई भूमि के सम्बंधित विभाग को हस्तान्तरण होने के उपरान्त ही चकरोड/नाली/सरकारी भूमि पर विकास/निर्माण अनुमन्य होगा।
19. भवनों का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
20. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राइंग आई.आई.टी रूडकी से वैट कराकर प्रस्तुत किया गया है, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बंध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ.-1-2001 भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ.-1-2001 भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.2001 तथा शासनादेश सं० 3751/9-आ.-1-1भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 20.07.2001 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियंता जिन्हे भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबंधित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के लिये जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोस्र सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा व रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशालाओं/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे, ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिये जाये, तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुये निर्माण कार्य का अनाधिकृत मानते हुये सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेगें व तदनूसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट × 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बंधित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।

(a) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(b) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बंधी संस्तुतियां।

(c) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनाएं एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बंधित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चर डिटेल।

(d) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग, जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(e) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी.एण्ड पी. का निर्माण।

(f) साईट इंजीनियर इन्सपैक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(g) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बंधित रजिस्टर।

21. फायर विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का पालन करना होगा एवं फायर विभाग द्वारा पूर्णता सम्बंधी एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
22. रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग का कार्य से पहले पूर्ण कराना होगा।
23. रोड वाईडनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा बाउन्ड्रीवाल रोड वाईडनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
24. 15 प्रतिशत पार्क जन सामान्य हेतु खुला रखना होगा, जिसके नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नहीं होगा।
25. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्विस प्लान के अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे सडक, सीवर सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
26. भूगर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
27. कूडा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
28. विद्युत व्यवस्था हेतु उ.प्र. पावर कारपोरेशन से स्वयं कनैक्शन प्राप्त करना होगा एवं विद्युत भार के लिये विद्युत विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगा।
29. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर पार्किंग का प्राविधान करना होगा। सडक पर पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। पार्किंग का 10 प्रतिशत **visitors parking** हेतु आरक्षित रखनी होगी।
30. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
31. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मांग की जाती है, तो उसे विकासकर्ता को जमा कराना होगा।
32. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने की उत्तरदायित्व विकासकर्ता को होगा अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।

33. सुविधाओं का निर्माण आवश्यक रूप से करना होगा।
34. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेंटीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
35. निर्माण के समय यदि किसी दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
36. अर्पामेन्ट एक्ट 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मानचित्र निर्गत के एक माह के अन्दर घोषणा पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
37. सड़क के निर्माण के समय एलाईनमेन्ट परिवर्तन की दशा में विकासकर्ता को परिवर्तित एलानमेन्ट के अनुसार रोड वाईडनिंग छोड़नी होगी तथा इस हेतु विकासकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जायेगा तथा समस्त शर्तें विकासकर्ता की होगी।
42. मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं० 21/2014 के अन्तर्गत पारित आदेशों के क्रम में, जिसमें निर्माण प्रक्रिया से जनहित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संलग्न मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जो निम्नवत है:-

Dust Control Measures in accordance with NGT direction in O. A. 21/2014

- 1- Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
- 2- The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
- 3- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- 4- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- 5- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- 6- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- 7- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
- 8- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- 9- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- 10- Wind breaking walls around construction site.
- 11- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- 12- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- 13- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- 14- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- 15- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- 16- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance. Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.



- 17- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- 18- Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- 19- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- 20- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- 21- Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs,) Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean NOx catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
- 22- Green belt creation will also act as a mitigating factor.
उक्त शर्तों की उल्लंघन की दशा में एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 में उल्लेखित धनराशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।
43. नियमानुसार रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पॉवर प्लान्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटॉप एरिया का अनिवार्य रूप से करनी होगी।
44. स्थल पर निर्माण के समय लेबर हेतु जन-सुविधाओं का प्राविधान करना होगा।
45. पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय क्लियरेंस(ई.सी.) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
46. अवशेष लेबर सेस, विकासकर्ता को स्वयं श्रम विभाग में सम्बंधित खाते में जमा कराना होगा तथा जमा रसीद की प्रति प्राधिकरण को प्राप्त करना होगा।
47. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
48. अवशेष वाहय विकास शुल्क धनराशि रू० 1,26,91,461.00 को छमाही तीन किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निम्नानुसार देय है, जो कि कार्यालय के पत्र सं० 1551/मानचित्र/एच.पी.डी.ए./21-22 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

क्रम सं०	मूल धनराशि रू०	ब्याज (12 प्रतिशत)	ब्याज सहित कुल देय धनराशि	देय दिनांक
1	42,30,487.00	7,61,488.00	49,91,975.00	15.06.2022
2	42,30,487.00	5,07,658.00	47,38,145.00	15.12.2022
3	42,30,487.00	2,53,829.00	44,84,316.00	15.06.2023

निर्धारित तिथि पर किश्त का भुगतान न करने पर नियमानुसार 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी देय होगा।



प्रभारी मानचित्र
हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड।

पृष्ठांकन / मानचित्र/एच०पी०डी०ए०/21-22 दिनांक:
प्रतिलिपि:-

1. सक्षम अधिकारी प्रवर्तन/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन-1, पिलखुवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी मानचित्र